

21/12/2020 पत्रावली पेश हुई पीठारीन अधिकारीज
 निराचन कार्य राजगण्ड मीरिन
 में व्यवस्था होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना
 में दिनांक 24.12.2020 को पेश हो
 12/20

24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष
 उपायविधि ले अधिवक्ता पक्ष की
 व्यवस्था सुत्री कार्य एवं व्यवस्था पर
 मान लिया व पत्रावली का प्रत्येक
 क्रिया गया। अधिवक्ता पक्षी ने उपायविधि
 में अंतिम तथ्यों की दोहराते हुए अपील
 व्यवस्था में व्यवस्था की गाम सौकरनी
 की जमावली संवत् 2069-72 के खता
 संख्या 162 डिहा - 22 खता 15-13/10
 ग्रामि उपायविधि व विपक्षी की मौरसी
 ग्रामि की विपक्षी उपायविधि के विरु
 हैं व कर्त खतागत होने से ग्रामि
 विपक्षी के नाम राजस्व रेकर्ड में
 दर्ज हैं जबकि ग्रामि पर उपायविधि
 व विपक्षी का सम्पत्त से उपयोग
 हो सभी संयुक्त रूप से उपयोग
 उपयोग पर रहे है। विपक्षी ग्रामि
 अपने नाम पर होने से खता हेतु
 सहायक के विरुद्ध दस्तावेज
 करने पर तैयार है। कदम पर
 भी रही मान रहे है। जिससे
 सम्बन्ध दोषपूर्ण एवं स्थायी
 विवेधाज्ञ का वाद विन्वादाधीन
 है जिससे विन्वादा ने समय
 व्योग्य तथा तब विपक्षी के
 विरुद्ध इस आशय की अपील
 विवेधाज्ञा जारी की जावे कि
 उक्त वाद उक्त ग्रामि की
 मंडे व राजस्व रेकर्ड की
 प्रमाणिकी व्यक्त रहे। विपक्षी
 की ओर से जवाब में अंतिम



सहायक डायरेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बलगढ
 जिला-राजगण्ड


फर्द अहकाम
राजस्व - पत्रावली

य उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

61 सन् 2020 किस्म मुकदमा

पत्रावली

रहित बनाम धूलाराज

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>तथा को दोराले हुए विपक्षी अधिकार न अपनी वरत में वताप वि वादग्रस्त शुद्धि पट अस्मात् विवेधाना जारी की जावे तो कोई आपत्ती नहीं है। अतः उक्त वादग्रस्त शुद्धि पट मूल वाद में विस्तारतः इस आशय की अस्मात् विवेधाना जारी की जाती है। वि विपक्षी राजस्व रेकर्ड की प्रकारिकी वताप रहे। पत्रावली फैलल शुद्ध हो कर नम्बर की सह ही विविध सुक्रे न्यायालय में सुताप गय।</p>	

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द